12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

RS-301-

छोटेलाल तिवारी तनय श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी उम्र 59 वर्ष, पेशा-नौकरी निवासी ग्राम-अनन्तपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा, (म0प्र0)

R5410-II/16

--------आवेदक/निगराकार

बनाम्

ब्रम्हानन्द तिवारी तनय स्व0 श्री अंजनी प्रसाद तिवारी उम्र 43 वर्ष, पेशा-कृषि निवासी ग्राम-अनन्तपुर, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा, (म0प्र0)

2. शासन म0प्र0 जरिये कलेक्टर रीवा

---------अनावेदकगण/गैरनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959ई0 निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील-हुजूर, जिला-रीवा म0प्र0 ब्रम्हानन्द तिवारी बनाम शासन म0प्र0 प्रकरण कमांक-89अ/12-13 आदेश दिनांक 14-05-2013 जिसके द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता के बिना सुनवाई के गलत नक्सा तरमीम प्रस्ताव अनुमोदन का आदेश एवं सीमांकन पुष्टि का आदेश पारित किया गया है निम्नलिखित आधार पर दायर की जाती है।

मान्यवर,

निगरानी के आधार समझने के लिये संक्षिप्त तथ्य दिया जाना आवश्यक है जो निम्नलिखित दिये जाते है :-

छोटेलाल तिवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग- 5410-दो/16 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विजय कांत द्विवेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक ८9/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में आदेश की सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हो सकी है। अत छाया के आधार पर आदेश करने का अनुरोध किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि मौजा अनन्तपुरा तहसील हुजूर जिला रीवा का आराजी क्रमांक 689/1/क रकवा ०-०२० है0 का सीमांकन हेतु आवेदन किया जिस पर से सरहदी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी किया गया। स्थल पंचनामा तैयार किया गया। जिस पर सरहदद्री कास्तकारों के हस्ताक्षर है । 3- तहसीलदार द्वारा दिनांक 14-3-13 को जो आदेश पारित किया गया है उसमें राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन क्रमांक 462/13 दिनांक 30-1-13 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें सीमांकन व तरमीम के विरूद कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई और तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया जिसमें कोई	

त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक चाहे तो वह अपना सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक ८9/अ-12/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य